सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री जसमीत सिंह संधू आई0ए0एस0
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 32/2019

श्री राजेश मारोठिया पुत्र श्री सीतारामजी जाति माली निवासी मालियान हथाई गली, सूरजपोल गेट के अंदर ब्यावर जिला अजमेर

————प्रार्थी

ब ना म

1– श्री सीताराम मारोठिया पुत्र पुत्र श्री चन्द्राजी उर्फ रामचंद्रजी जाति माली
2– श्री सुनील कुमार पुत्र श्री सीताराम जी मारोठिया जाति माली
3– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर अजमेर
4– श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
5– श्रीमान् तहसीलदार महोदय, ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा. दी.

आदेश दिनांक 08-07-2019

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये हैं कि राजस्व ग्राम नयानगर पटवार हल्का नयानगर भू अभिलेख निरीक्षक नयानगर तहसील ब्यावर जिला अजमेर में विद्यमान कृषि भूमि खसरा संख्या 551, 554, 562, 570, 581 की भूमियां विद्यमान चली आ रही है जिसका क्षेत्रफल 02–15–00 है। ये भूमियां पक्षकारान की पुश्तैनी भूमियां है। उक्त भूमियों के खातेदार प्रार्थी के दादाजी श्री चन्द्राजी उर्फ रामचन्द्र जी अपने जीवन काल में रहे हैं। जिनका सजरा वादपत्र के पद संख्या 2 में अंकित है। अप्रार्थी संख्या 1 का पिता है एवं अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी का बड़ा भाई है। उक्त पदं संख्वया 2 में वर्णित सजरा अनुसार ही श्री चन्द्राजी उर्फ रामचन्द्रजी के विधिक वारिसान उनकी मृत्यु के पश्चात् जीवित रहे हैं। कालांतर में रामचन्द्र जी की पत्नि श्रीमती जमनाबाई का भी स्वर्गवास हो गया। स्व. श्री चन्द्राजी उर्फ रामचन्द्र जी की मृत्यु के पश्चात् उनकी पुश्तैनी व अर्जित चल अचल सम्पत्ति में उनके सभी विधिक वारिसान का हक अधिकार निहित हो गया। स्व0 श्री चन्द्राजी उर्फ रामचन्द्र जी की पुत्रियों श्रीमती सोनीदेवी, श्रीमती सीतादेवी, श्रीमती प्रेमदेवी का प्रार्थी के प्रति अति स्नेह रहा है तथा अपने भाई सीताराम के प्रति भी स्नेह रहा है। इसी प्रेम व स्नेहवेश स्व. श्री चन्द्राजी उर्फ रामचन्द्रजी की पुत्रियों ने अपना अपना हक अधिकार व हिस्सा दो अलग अलग हक परित्याग पत्र दिनांक 09.06.2010 अपने भाई व प्रार्थी के पिता श्री सीताराम के पक्ष में त्यज दिया ताकि प्रार्थी सहित अन्य हिस्सेदारान को वादग्रस्त भूमि सहित अन्य भूमियों के हक अधिकार प्राप्त हो सके। राजस्व अभिलेख में भी इन हक परित्याग के पत्र जरिये अप्रार्थी का नाम दर्ज हो गया। स्व0 श्री चन्द्राजी उर्फ रामचन्द्र जी की पुत्रियों द्वारा हक अधिकार त्यजने के पश्चात् प्रार्थी की पुश्तैनी जायदाद होने के कारण प्रार्थी सहित अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमियों सहित अन्य भूमियों पर काबिज हो गये। प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण सहित आमजन की जानकारी में काबिज काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी का बड़ा भाई है और प्रार्थी से द्वेषता रखता है, इस कारण वह अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी के विरूद्ध भड़का/बहकाकर उक्त वादग्रस्त भूमियों को खुर्दबुर्द करने पर आमादा हो रहे है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी पर दबाव बनाने की नियत से उसके विरूद्ध झूठे मुकदमें भी दर्ज करवाये हैं, जो कि विचाराधीन है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2042–45 में प्रार्थी के दादा श्री चन्द्राजी उर्फ रामचन्द्र जी का नाम दर्ज है तथा राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2067–70 में श्री चन्द्राजी उर्फ रामचन्द्र जी के वारिसान का नाम दर्ज है जो कि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमियां होना प्रमाणित

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

करता है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 14.05.2019 के दिवस प्रार्थी को धमकी दी कि "हम लोग उक्त वादग्रस्त भूमियों में तेरे हक अधिकार को समाप्त करके इन भूमियों को अन्य लोगों को ओने पोने दामों में हस्तान्तरण कर देंगे और तुझे जबरन बेदखल कर देंगे तथा इस संबंध में पंजीबद्ध दस्तावेज का निष्पादन भी कर देंगे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमियों के किसी भी भाग को किसी प्रकार से भारयुक्त व/या हस्तान्तरित नहीं करें व न ही इस बाबात् कोई दस्तावेज निष्पादित करवाकर पंजीकृत करावें तथा प्रार्थी के वादग्रस्त कृषि भूमियों में चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। अन्य अनुतोष जो न्यायहित में आवश्यक हो दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का जवाब प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि प्रार्थी ने व्यर्थ ही उक्त भूमियों को वादग्रस्त अंकित किया है जिसकें लिये प्रार्थी स्वयं ही उत्तरदायी है। पद नम्बर 2 में जो सिजरा अंकित किया गया है, वह अपूर्ण है जबकि वास्तविकता में अप्रार्थी नम्बर 1 केपरिवार में उसकी पत्नि तथा दो पुत्र प्रार्थी एवं अप्रार्थी नम्बर 2 सहित 2 पुत्रियां है जो जीवित है किन्तु प्रार्थी ने बदनियतिवश अप्रार्थी नम्बर 1 का सिजरा अंकित नहीं किया है। अप्रार्थी नम्बर 1 अपने संयुक्त परिवार का कर्ता व मैनेजर चला आ रहा है तथा श्री चन्द्रा जी उर्फ रामचन्द्र जी के स्वर्गवास के बाद उनके विरासत से प्राप्त 1/5 हिस्से का अकेला खातेदार काश्तकार अप्रार्थी नम्बर 1 संयुक्त परिवार का कर्ता व मैनेजर होने के कारण हो गया तथा अप्रार्थी नम्बर 1 को विरासत से प्राप्त 1/5 हिस्से को अपने संयुक्त परिवार के हित में समस्त प्रकार से उपयोग उपभोग करने तथा उसके पारिवारिक आवश्यकताओं के लिये विक्रय करने कापूर्ण अधिकार हासिल प्राप्त है। उत्तरकर्ता अप्रार्थी की बहनों का प्रार्थी के प्रति कभी भी कोई स्नेह नहीं रहा है। प्रार्थी ने कभी भी उत्तरकर्ता अप्रार्थी अथवा उसकी बहनों व उसके परिवारजन के प्रति ऐसा कभी कोई आचरण या व्यवहार नहीं किया, जिसकी वजह से प्रार्थी के प्रति कोई स्नेह रहा हो। प्रार्थी व उसके परिवारजन का आचारण व व्यवहार हमेशा अत्यंत झगड़ालू किस्म का रहा है। वर्णित तौर पर दिनांक 09.06.2010 को कोई दो अलग अलग हक परित्याग कभी निष्पादित नहीं किये गये । वास्तविकता में तथा प्रार्थी स्वयं की पूर्ण जानकारी में उत्तरकर्ता अप्रार्थी की माता श्रीमती जमना बाई एवं उत्तरकर्ता अप्रार्थी की बहन श्रीमती सीतादेवी ने उपरोक्त आराजियात में विरासत में प्राप्त अपने 2/5 हिस्से को जरिये पंजीकृत हक परित्याग पत्र दिनांक 16.06.2001 उत्तरकर्ता अप्रार्थी की बहन श्रीमती प्रेमदेवी को परित्याग कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त आराजियात में 3/5 हिस्सा श्रीमती प्रेमदेवी का हो गया। उक्त श्रीमती प्रेमदेवी ने अपना 3/5 हिस्सा एवं उत्तरकर्ता अप्रार्थी की बहन श्रीमती सोनी देवी ने अपना 1/5 हिस्सा अर्थात कुल 4/5 हिस्सा को उनके द्वारा जरिये पंजीकृत हक परित्याग पत्र दिनांक 09.06.2010 के द्वारा अकेले उत्तरकर्ता अप्रार्थी के हक में परित्याग कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त आराजियात में 1/5 हिस्सा उत्तरकर्ता अप्रार्थी का विरासती में प्राप्त हिस्सा हो गया तथा 4/5 हिस्सा उत्तरकर्ता अप्रार्थी का निजी खातेदारी का हो गया। उत्तरकर्ता अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त आराजियात में अपनी निजी धनराशि व्यय कर उसके एक हिस्से में निर्माणात भी करवाये हैं तथा निर्माणात में अप्रार्थी नम्बर 1 अपना व्यवसाय करते हुए उसका खुल्लमखुल्ला रूप से उपयोग उपभोग भी कर रहा है जिससे भी प्रार्थी का किसी तरह का कोई लेना देना या संबंध सरोकार नहीं रहा है। तत्पश्चात् उत्तरकर्ता अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त आराजियात में से 2/3 हिस्सा अप्रार्थी नम्बर 2 को जरिये बख्शीशनामा बख्शीश कर दिया गया जिसका दाखिल खारिज भी अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम राजस्व अभिलेखों में खोला जा चुका है। इस प्रकार उपरोक्त आराजियात का 2/3 हिस्से का खातेदार अप्रार्थी नम्बर 2 चला आ रहा है तथा शेष

लगातार

(जसवीरसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

1/3 हिस्सा यानि 34 प्रतिशत हिस्से में से 20 प्रतिशत हिस्सा पुश्तैनी है तथा शेष 14 प्रतिशत हिस्सा उत्तरकर्ता अप्रार्थी का निजी चला आ रहा है। प्रार्थी कानूनन भी केवल मात्र विरासत से प्राप्त 1/5 हिस्से में 1/5 हिस्सा अर्थात् 1/25 हिस्सा ही प्राप्त हो सकता है तथा वह भी उस स्थिति में ही प्रार्थी को प्रापत हो सकता है, जबकि प्रार्थी व उसके परिजनों का व्यवहार अपने पूर्वजों के प्रति एक अच्छे पुत्र के रूप में चला आ रहा हो। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी अपना कोई हिस्सा अंकित नहीं कर संपूर्ण आराजियात को विवादित बनाते हुए उसे विवाद में डालने का प्रयास किया गया है ताकि उसकी आड में संपूर्ण आराजियात को अकेले को हड़पने में सफल हो सके। प्रार्थी ने बदनियतिवश स्व. श्रीचन्द्रा जी की तीनों पुत्रियों श्रीमती सीतादेवी, श्रीमती प्रेमदेवी एवं श्रीमती सोनी देवी को तथा अप्रार्थी नम्बर 1 की पत्नि एवं दोनों पुत्रियों को पक्षकार मुकदमा ही नहीं बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थी द्वारा मौजूदा प्रार्थना पत्र व वाद गलत एवं झूठा उत्तरकर्ता अप्रार्थी को हैरान, तंग, परेशान करने एवं उत्तरकर्ता अप्रार्थी को खर्चे से जेरबार करने एवं आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रस्तुत किया है कि जिसका उत्तरकर्ता अप्रार्थी को मजबूरन प्रतिकार करना पड़ा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे एवं खर्चे तथा विशेष खर्चे सहित खारिज किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने मौखिक बहस किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्षान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 के कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने बहस में मौखिक कथन किए कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वास्तविक तथ्यों को छिपाकर व गलत हिस्सों का इन्द्राज कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मामला भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है तथा कोई आर्थिक क्षति भी नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारिज़ किया जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम नयानगर की जमाबन्दी संवत् 2052–55 के खाता संख्या 151 में अंकित खसरा संख्या 374 के साथ वादग्रस्त खसरा संख्या 551, 554, 562, 570, 571 चन्द्रा वल्दसूजा कौम माली सा. देह के नाम दर्ज होना पाया गया है व इसी जमाबन्दी में लगे नोट नामान्तकरण संख्या 1122 दिनांक 09.12.97 जरिये रजि. गोदनामा एवं विरासत के चन्द्रा वल्द सूजा फौत के स्थान पर सोनीदेवी, सीतादेवी उर्फ ढगलाई, प्रेमदेवी पुत्रियांन चन्द्रा व सीताराम मुतबन्ना चन्द्रा व मु. जमना बाई बेवा चन्द्रा कौम माली के नाम अंकन स्वीकृत होना पाया गया। ग्राम नयानगर की जमाबन्दी संवत् 2067–70 के खाता संख्या 1002 में अंकित वादग्रस्त खसरा संख्या 551, 554, 562, 570, 571 सोनीदेवी पुत्री चन्द्रा 1/5 हि., सीताराम मुतबन्ना चन्द्रा 1/5 हि. सा. देह व प्रेमदेवी पुत्री चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र पत्नि अमरचन्द टांक जाति माली 3/5 हि0 सा. छावनी ब्यावर दर्ज है जिसमें लगे नोट नामा. सं. 3158 दिनांक 24.06.2010 रिलीज डीड के द्वारा पूरा खाता कित्ता 5 रकबा 2.15 पर बहक हक ग्रहिता सीताराम मुतबन्ना चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र जाति माली निवासी सूरजपोल गेट के अन्दर ब्यावर के नाम अंकन स्वीकार होना दर्ज पाया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा समाचार पत्र दैनिक नवज्योति संस्करण 2 जून 2019 में प्रार्थी श्री राजेश कुमार व उसकी पत्नी को अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी तमाम चल अचल सम्पत्ति से बेदखल किये जाने की आम सूचना प्रकाशित करवाई गई है। प्रार्थी की पत्नी के विरूद्ध अप्रार्थी ने सिविल न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। ग्राम नयानगर पटवार हल्का नयानगर की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 857 में अंकित वादग्रस्त आराजी 551, 554, 562, 570, 571 सीताराम मुतबन्ना चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र जाति माली निवासी सूरजपोल गेट के अन्दर ब्यावर खातेदार दर्ज होना पाया गया है एवं इसी जमाबन्दी लगे नोट नामा. सं. 3541 दि. 29.05.19 बख्शीश से सम्पूर्ण खाते पर नवीन अंकन सीताराम मुतबन्ना चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र 1/3 हिस्सा सुनील कुमारा मारोठिया पुत्र सीताराम हि. 2/3 जाति माली निवासी सूरजपोल गेट के पास मालिया मंन्दिर गली ब्यावर के नाम अंकन स्वीकार होना दर्ज है।

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

.....लगातार

Scanned by CamScanner

उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा बहस में किए गए कथनों के आधार पर ग्राम नयानगर की वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 551, 554, 562, 570, 571 में प्रार्थी का सम्पूर्ण भूमियों में कथित हिस्सा बनना प्रथम दृष्टया नहीं बनना पाया जाता है तथा सहुलियत का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने से कासिर रहे हैं। हांलांकि मूल वाद का निस्तारण साक्ष्य, सबूत व गवाहान के आधार पर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना है, परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजियात पर प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी नहीं पाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 08-7-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.07 13:36:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: